Print Date:-20/Mar/2026 06:47 PM

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Bhuwan Chandra Joshi
Reason :SEC E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 20-03-2026 18:47:41

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025-2026)

Administrative Department : Secretary, Urban Development (S054)

Head of Department : Director Local Bodies(2877)

आवंटन पत्र संख्या -

आवंटन आई डी - S26030130041

अनुदान संख्या - 013

आवंटन पत्र दिनांक - 20-MAR-2026

लेखा शीर्षक -

4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	**03**	छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास
051	निर्माण	**04**	नगरों का समेकित विकास
01	मलिन बस्ती विकास / नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास		

4	2	1	7	0	3	0	5	1	0	4	0	1	Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	53-वृहद निर्माण	192057100	45338000	0	237395100
	योग	192057100	45338000	0	237395100

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes - Rs. 4,53,38,000 (Rupees Four Crores Fifty Three Lacs Thirty Eight Thousand Only)

Batch ID : DIS:S054:S054:2603:0017

Approval Status : e-Sign letter

संख्या– /IV(2)-शा0वि0–2026–12(सा0)/2024 (78429)

प्रेषक,

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 **देहरादून : दिनांक मार्च, 2026**

विषयः अवस्थापना विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–2026 में विभिन्न नगर निकायों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा तथा ''अवस्थापना विकास निधि योजना'' के अन्तर्गत विभिन्न नगर निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणनों, जिनका विवरण **परिशिष्ट–'अ'** पर अवलोकनीय है, के सापेक्ष **कुल रू0 453.38 लाख (रू0 चार करोड़ त्रेपन लाख अड़तीस हजार मात्र)** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(1) उक्त धनराशि **कुल रू0 453.38 लाख (रू0 चार करोड़ त्रेपन लाख अड़तीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित नगर निकायों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम/यथा प्रक्रिया अविलम्ब उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में से यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से सम्पादित करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय। तत्सम्बन्ध में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा।

(3) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित नगर निकाय के सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी।

(4) प्राविधिक स्वीकृति हेतु शा0सं0 149101/XXVII(7)/E-20109/2022, दिनांक 25.08.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत योजना के सापेक्ष समयावृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

(6) प्रश्नगत कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में कर लेंगे अर्थात किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर Parking oF Fund नहीं किया जायेगा तथा आगणन में उल्लिखित मदों के अनुसार कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बनिधत अधिशासी अधिकारी का होगा।

(7) कार्यों की स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(8) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय, जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय किया जायेगा धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित सम्बनिधत अधिशासी अधिकारी/अभियंता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता संस्था पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(10) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(11) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(12) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्ठियों के अनुरूप सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

(13) आगणन गठित करते समय एवं कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, प्रचिलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(14) नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी। जनसुविधार्थ स्वीकृत योजना की कार्यलागत एवं योजना की समयावधि का विवरण सार्वजनिक किया जायेगा।

(15) उक्त योजनान्तर्गत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स/वीडियोग्राफी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता द्वारा संरक्षित रखे जायेंगे तथा कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप में (कार्यस्थल से सम्बन्धित फोटोग्राफ) अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(16) आगणन में सिविल निर्माण कार्य हेतु डी0एस0आर0/एस0ओ0आर0 एवं नॉन शिडयूल मदों हेतु यदि बाजार की दरें ली गई हैं, तो विशिष्टयों तथा दरों में परिर्वतन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में प्रशासकीय विभाग के विभागाध्य क्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि सम्बन्धित नगर निकाय योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्ही मदो का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(17) योजना में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री के सम्बन्ध में हरसम्भव यह प्रयास किया जाय कि निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप प्रदेश के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय ताकि प्रदेश के अन्तर्गत रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले एवं राज्य को करों के रूप में राजस्व की भी प्राप्ति हो सकें। इस हेतु ठेकेदारों के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध में उक्त का समावेश किया जाय।

(18) प्रश्नगत प्रस्ताव/आगणन के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय टी0ए0सी0 द्वारा प्रदत्त Observation के निराकरण तथा शर्तों के अनुपालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(19) नॉन शैड्यूल मदों की दरों/स्वीकृति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता का होगा।

(20) धनराशि का अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, कार्यस्थल के फोटोग्राफ्स एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और तद्नुसार अवशेष धनराशि की मांग शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से शासन को की जायेगी।

(21) आगणन में सम्मिलित की जा रही जी0एस0टी0 देयता में प्राविधानित मदों की धनराशि पर वास्तवित एवं नियमानुसार/नवीन जी0एस0टी0 प्राविधानों के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय। उक्त मद में व्यय की जाने वाली धनराशि पर भिन्नता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी/अभियंता कार्यदायी संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

(22) **निविदा स्वीकृत किये जाने पर योजना की लागत में होने वाली बचत (निविदा की लागत, स्वीकृत लागत से कम होने की दशा में) की धनराशि शासन को वापस की जाय। अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त कार्य किये जाने हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय तथा शासन को अवगत कराया जाय।**

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनिवार्य रूप से दिनांक 31.03.2026 तक कर लिया जायेगा। **कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण, एल–1 विवरण, निकाय अंश व्यय होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से समयान्तर्गत शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।** तत्सम्बन्ध में प्राथमिक उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी का होगा और तदोपरान्त शहरी विकास निदेशालय के सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

2– उक्त के सबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय–व्ययक के अनुदान सं.–13 के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–051–निर्माण–04–नगरों का समेकित विकास–0401–मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास''–53– वृहद निर्माण के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–287566/09(150)2019/XXVII(1)/2025, दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में संलग्न एलॉटमेन्ट आई0डी0 के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Digitally signed by
PRADEEP KUMAR SHUKLA
Date: 20-03-2026
18:24:23

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, कुमॉयू मण्डल/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4– सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7– वित्त अनुभाग–2/संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8– अधिशासी अधिकारी, सम्बनिधत नगर निकाय।
9– गार्ड बुक।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

परिशिष्ट–'अ'

शासनादेश संख्या– /IV(2)-श0वि0–2026–12(सा0)24, दिनांक मार्च, 2026 का संलग्नक।

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र. स.	नगर निकाय का नाम	कार्य का नाम			लागत/स्वीकृत धनराशि
1.	नगरपालिका परिषद, खटीमा	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 117/2022** दिनेश पंत की दुकान से खीमानन्द जोशी के घर की ओर नाली व सी0सी0 मार्ग निर्माण किया जायेगा।			8.84
2.	नगरपालिका परिषद, चम्पावत	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 651/2025** नगर पालिका परिषद, चम्पावत में शामिल किये गये नये क्षेत्रों के 23 वार्डों में अवस्थापना विकास हेतु जिलाधिकारी द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार उक्त कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।			84.60
		क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**लागत**	
		1.	वार्ड नं0 3 मल्ली मादली में मल्ली मादली से देवल ह्यूम पाइप ड्रेन एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	18.15	
		2.	वार्ड नं0 3 मल्ली मादली माजगांव नवीन सिंह के मकान के पास से तल्ली मादली मार्ग तक ह्यूम पाइप ड्रेन एवं इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य।	10.49	
		3.	वार्ड नं0 5 गोरलचौड़ हरीष पाण्डेय के मकान से परमानन्द भट्ट के मकान के पास तक ह्यूम पाईप से नाली निर्माण कार्य।	10.06	
		4.	वार्ड नं0 5 गोरलचौड़ गोल्ज्यू गेट से अंदर की ओर ह्यूम पाईप से नाली निर्माण कार्य।	18.38	
		5.	वार्ड नं0 6 जूप में मनोज कलखुड़िया के घर से ऊपर को सी0सी0/सुरक्षात्मक कार्य।	10.59	
		6.	वार्ड नं0 8 बालेश्वर में रोहित बिष्ट जी के मकान से गांधी मूर्ति तक दोनों ओर ह्यूम पाइप ड्रेन एवं सी0सी0 कार्य।	16.93	
3.	नगर पंचायत, गजा	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 270/2025** नगर पंचायत, गजा में 08 विभिन्न मार्गों का निर्माण कार्य किया जायेगा।			80.42
		क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**लागत**	
		1.	ज्ञान सिंह के मकान के बैंड से रवि नेगी के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण।	7.61	
		2.	रामसिंह सिंह नेगी के मकान के पीछे से स्वर्गीय उत्तरांचल शहीद बेलमती चौहान के गांव तक सी0सी0मार्ग निर्माणं	17.59	
		3.	इंटर कॉलेज के गेट से खेल मैदान तक मार्ग निर्माण।	9.20	
		4.	गोविन्द सिंह नेगी के घर से मंगल सिंह के घ ार तक एवं ज्ञान सिंह के मकान से रविन्द्र सिह के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण।	10.73	
		5.	राजकीय पॉलेटेक्निक गजा से ज्ञान सिंह चौहान के मकान के पीछे तक मार्ग निर्माण।	12.84	
		6.	बेलमती चौराहे से प्रभु चौहान के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल मार्ग निर्माण। वार्ड नं0 2	12.86	

		7.	वार्ड नं0 4 में फार्म गेट से तिराहे तक रास्ता निर्माण कार्य।	9.59	
4.	नगर पंचायत, कपकोट	**क्र.सं.**	**कार्य का नाम**	**लागत**	
		1.	वार्ड सं0–04 के तोक डोडिला में शिव मन्दिर के पास स्थल विकास निर्माण कार्य।	3.64	
		2.	वार्ड सं0–03 में के0डी0 शर्मा के मकान से आदर्श विद्यालय की ओर जाने वाला सी0सी0 मार्ग एवं चक्कर टाईल्स/रैलिंग निर्माण कार्य।	6.09	
		3.	वार्ड सं0–02 में ईश्वर कपकोटी के मकान से बसन्ती कपकोटी के मकान की ओर बरसाती नाला एवं पटाल निर्माण कार्य।	5.37	30.43
		4.	वार्ड सं0–05 ऐठाण के सिपातल तोक में सार्वजनिक स्थान पर स्थलविकास कार्य।	3.17	
		5.	वार्ड सं0–01 के भुरकुटी तोक में पैदल पुलिया से प्रकाश उपाध्याय के मकान की ओर सी0सी0 मार्ग चक्कर टाईल्स का निर्माण एवं रैलिंग निर्माण कार्य।	5.64	
		6.	वार्ड सं0–07 में कदारशिला मन्दिर के पास सौन्दर्यीकरण का कार्य।	6.52	
5.	नगर पंचायत, सुल्तानपुर–आदमपुर	**क्र.सं.**	**कार्य का नाम**	**लागत**	
		1	वार्ड नं–01 में सुन्दर सैनी के घर से दिनेश चौहान ऋषिपाल सैनी के घर की ओर सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य।	5.93	156.40
		2	वार्ड नं–01 में केहडे सुनार की दुकान से दुर्गपाल घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4.13	
		3	वार्ड नं–02 में सुखबीर के घर से लेकर राजू के धर की ओर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	2.69	
		4	वार्ड नं0–02 ममता क्लीनिक से लेकर राज्जों के घर की ओर सी0सी0 रोड निर्माण कार्य	3.53	
		5	वार्ड नं–03 में ईदगाह रोड़ से माली दूध वाला घ ार की ओर नाला निर्माण कार्य।	6.58	
		6	वार्ड नं–03 में निकट सोसायटी (सहकारी समिति) की पुलिया निर्माण कार्य	4.42	
		7	वार्ड नं–03 में ईदगाह रोड़ से भावापुर की ओर नाले का निर्माण कार्य।	8.69	
		8	वार्ड नं0–04 में निकट रविदास मन्दिर ईदगाह रोड़ का पुलिया निर्माण कार्य।	3.81	
		9	वार्ड नं0–4 में रशीद के घर से ताहिर के घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4.68	
		10	वार्ड नं0–4 में शिव मन्दिर से तसलीम के टेलर घर की ओर सी0सी0 निर्माण कार्य।	8.93	
		11	वार्ड नं0–4 में ईलयास के घर से इमरान गोप्पी के घर की ओर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	6.38	
		12	वार्ड नं0–4 व 6 इसरार के घर से लेकर याकुब कपड़े वाले की दुकान की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	6.46	
		13	वार्ड नं0–4 व 6 में निकट याकुब कपड़े वाले की दुकान के पास पुलिया निर्माण कार्य।	4.35	
		14	वार्ड नं0–5 में इलियास फत्तों के घर से लेकर तसलीम लकड़ी वाला के घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	1.83	
		15	वार्ड नं0–5 में तसलीम लकड़ी वाला के घर से	4.34	

			शहजाद के घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।		
		16	वार्ड नं–5 मुन्ना कुरैशी के घर से लेकर इकराम के घर ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8.67	
		17	वार्ड नं–5 में यूसुफ कुरैशी के घर से दादा खान मस्जिद तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	5.66	
		18	वार्ड नं0–5 में दादा खान मस्जिद से मेहरबान फत्तू के घर की ओर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	3.24	
		19	वार्ड नं–5/6 में शराफत के घर से शमीम के घ ार की ओर सी0सी0 रोड़ का निर्माण कार्य।	13.19	
		20	वार्ड नं0–6 में इसरार के घर से नूर आलम फततों के घर की ओर नाला निर्माण कार्य।	13.35	
		21	वार्ड नं0–7 में रहीम के धर से लेकर भूरे के घर की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	8.07	
		22	वार्ड नं0–7 में मंगता के घर से सावेज के घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	1.18	
		23	वार्ड नं–7 में अकरम रज्जाक के घर से रियासत जमाल के धर की ओर नाला निर्माण कार्य।	1.37	
		24	वार्ड नं–7 के निकट तसलीम के घर के पास झीबारेडी रोडत्र पुलिया निर्माण कार्य।	3.33	
		25	वार्ड नं–8 में महबूब चौहनी के घर से ईरमाईलपुर रोड़ पुलिया की ओर सी0सी0 रोड़ निर्माण कार्य।	14.33	
		26	वार्ड नं–9 में साबिर अली मस्जिद से नुरा प्रधान के घर की ओर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	4.77	
		27	वार्ड नं0– 9 में हफिजन के घर से लेकर समीम के घर की ओर सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	2.49	
6.	नगर पंचायत, गढ़ीनेगी	**क्र.सं.**	**कार्य का नाम**	**लागत**	
		1	वार्ड नं0–06 रामफल आर्दश नगर में मुन्नालाल के घर से राजू के घर की ओर सी0सी0 टाईल रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	4.98	92.69
		2	वार्ड नं0–7 अम्बेडकर के वार्ड नं0–7 अम्बेडकर नगर में कनई लाल के घर से भरत के घर की ओर सी0सी0 टाईल रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.9	
		3	वार्ड नं0–1 दक्षनगर में शिवचरन के घर से रामचन्द्र वर्मा की कोठी की ओर सी0सी0 टाईल रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	17.47	
		4	वार्ड नं0–5 रामेश्वपुरम में श्री आनन्दपुर सत्संग आश्रम से बनारशी के घर की ओर सी0सी0 टाईल रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	14.12	
		5	वार्ड नं0–6 रामफल आर्दश नगर में गंगासरन के घर से धर्मपाल के प्लाट की ओर सी0सी0 टाईल रोड व नाली निर्माण कार्य।	15.28	
		6	वार्ड नं0–4 चामुण्डा नगर में इन्दर कालरा की दुकान से मेहरवान के घर की ओर सी0सी0टाईल रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	13.76	
		7	वार्ड नं0–7 अम्बेडकर नगर में राजू पोपली के घ ार से विजय के घर की ओर सी0सी0 टाईल रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	13.2	
		8	वार्ड नं0–7 अम्बेडकर नगर में भरत के घर से बलबंत के धर की ओर सी0सी0 टाईल रोड़ व	3.98	

			नाली निर्माण कार्य।		
महायोग–					**453.38**

प्रदीप कुमार शुक्ल,
उप सचिव।